16-02-2018

राज्य द्वारा श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. उपस्थित। अपीलार्थी सहित श्री टी.आर. बघेले अधिवक्ता उपस्थित।

आहत फरियादी दिनेश ठाकरे उपस्थित।

अपीलार्थी और आहत ने संयुक्त रूप से राजीनामा पेश किया तथा एक अन्य आवेदन आहत फरियादी ने राजीनामा करने की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया।

दोनों आवेदन पत्रों पर उभयपक्ष की पहचान अधिवक्ता श्री टी.आर. बघेले द्वारा की गई।

अनुमति हेतु पेश आवेदन के निराकरण हेतु आहत फरियादी दिनेश ढाकरे के शपथ पर कथन लेख किये गये।

मूल अभिलेख पर फरियादी के न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध कथन व अभियोग पत्र पर संलग्न कथन व अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर है का मिलान इस न्यायालय द्वारा किया गया उपस्थित व्यक्ति ही असल आहत फरियादी होना पाया जाता है साथ ही प्रार्थी आहत का निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र और आधार कार्ड क. 2677 7081 5048 अवलोकन हेतु पेश किया, छायाप्रतियां अभिलेख पर ली गई। श्री बघेले अधिवक्ता द्वारा भी आहत की पहचान की गई है सभी बिन्दुओं के आधार पर उपस्थित दिनेश ठाकरे ही आहत पीडित व्यक्ति है पाया जाता है।

आहत पीडित के कथन के आधार पर अनुमित हेतु पेश आवेदन पत्र अपीलीय अभिलेख पर स्वीकार किया जाता है।

आहत पीड़ित को अनुमित दिये जाने से उभयपक्षों के हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र अभिलेख पर स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय की अनुमित से धारा 325 भा.दं.वि.का अपराध शमनीय प्रकृति का है। इस न्यायालय द्वारा दिनेश ठाकरे को अपराध के समन की अनुमित दी गई है और राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया है। परिणामतः दाण्डिक प्रक.क. 837 / 12 शासन वि. अनिल में न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा जे.एम.एफ.सी. बैहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.17 द्वारा अपीलार्थी को धारा 325 भा.दं.वि.के अधीन दोषसिद्ध पाते हुये 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 / —रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने का निर्णय प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये राजीनामा के आधार पर अपास्त किया जाता है तथा पारित दण्डाज्ञा अपास्त की जाती है।

अपीलार्थी को धारा 325 भा.दं.वि.के अपराध से अपील स्वीकार किये जाने से दोषमुक्त किया जाता है।

अपीलार्थी ने अर्थदण्ड की राशि 1000/—रूपया दिनांक 25.01.17 को रसीद बुक क. 23323/56 दिनांक 25.01.2017 द्वारा अदा की है जो राजीनामा हो जाने से वापिस की जावे। अपीलार्थी द्वारा तत्संबंध में निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि और उसके बैंक अकाउंट की छायाप्रति पेश करने पर अर्थदण्ड की राशि ई—भुगतान द्वारा लौटाई जावे। नतीजा दर्ज कर पंजी से निरस्त कर अभिलेख

अभिलेखागार में जमा किया जावे 🔊

Hilling of the Artifett britished 🎇 (माखनलाल झोड़) द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश

Allered streets and the state of the state o